[8/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 3830]

परिशिष्ट–अ

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 3830

जिले में श्री रामजी पटनहॉ, लिपिक की पूर्व में कार्यालयीन आदेश दिनांक 16.10.1996 के माध्यम से संविदा समाप्त की गई थी। संविदा समाप्ति आदेश के विरूद्ध श्री पटनहॉ द्वारा दायर याचिका डब्ल्यू.पी. नं. 4480/96 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित अंतरिम आदेश के फलस्वरूप श्री पटनहां कार्यरत रहे। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 20.03.2008 में माननीय न्यायालय ने सेवा समाप्ति के आदेश को सही माना, क्योंकि संविदा नियुक्ति एक वर्ष की थी, तदोपरान्त श्री पटनहां द्वारा दायर एम.सी.सी. 1201/2008 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2008 को निर्णय दिया है कि– दिनांक 16.10.96 के बाद याचिकाकर्ता की संविदा लगातार बढाई गई व याचिकाकर्ता लगातार सेवा में है, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 20.03.2008 उनकी संविदा वृद्धि में आडे नहीं आयेगा। पारित आदेश दिनांक 27.06.2008 इस प्रकार है:–

"This court has only upheld the order of termination P-1 dated 16.10.96 thereafter if the contract of the petitioner has been extended then because of the extension of the contract the petitioner, if is continuing in services, then the order passed by this court shall not come in his way.

On the basis of the aforesaid observation. I donot find any reason to interfere with the order dated 20.03.2008. In view of the aforesaid, the present petition stands disposed of."

इसलिए एम.सी.सी. 1201/2008 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2008 के फलस्वरूप श्री पटनहां अन्य संविदा कर्मचारियों की भांति संविदा आधार पर कार्यरत रहे। श्री पटनहां की उक्त संविदा नियुक्ति के बाद प्रत्येक वर्ष उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर संबंधित का कार्य संतोषजनक होने से शासन द्वारा गठित सक्षम जिला स्तरीय नियुक्ति समिति की बैठक दिनांक 23.10.2001 व इसके बाद समय–समय पर आयोजित बैठकों में समिति द्वारा अन्य संविदा कर्मचारियों की भांति श्री पटनहां की भी संविदा वृद्धि की गई।

जिला स्तरीय नियुक्ति समिति की बैठक दिनांक 23.10.2001 व इसके बाद समय–समय पर आयोजित बैठकों में लगातार अन्य संविदा कर्मचारियों की भांति श्री पटनहां की संविदा वृद्धि की जाती रही है। अतः किसी भी अधिकारी ने माननीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया, ऐसी स्थिति में राशि वसूली व सेवा समाप्ति का कोई कारण नहीं बनता। किसी अधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की है। अतः किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठाता।

श्री पटनहां, लिपिक, जिला शिक्षा केन्द्र सतना के प्रकरण में शासकीय अधिवक्त सं अभिमत प्राप्त किया गया। शासकीय अधिवक्ता से प्राप्त अभिमित इस प्रकार है, कि " एम.सी.सी.1201/2008 मा. उच्च न्यायालय जवलपुर के आदेश दिनांक 27.06.2008 के अनुसार श्री पटनहां की जिला स्तरीय नियुक्ति समिति द्वारा संविदा अवधि लगातार उनके कार्य मूल्यांकन के आधार पर समय–समय बढ़ाई गई है एवं रिट याचिका कमांक 4480/96 में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2008 में हस्ताक्षेप से इंकार किया गया है।"

श्री पटनहां की अन्य शिकायत के कारण जिला स्तरीय नियुक्ति समिति की वैठक दिनांक 21.09.2017 में समिति द्वारा संविदा समाप्त किये जाने हेतु लिये गये निर्णय के अनुपालन में आदेश दिनांक 17.10.2017 के द्वारा श्री पटनहां की संविदा समाप्त की गई। जिसके विरूद्ध श्री पटनहां द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जवलपुर में डब्ल्यू.पी.नं. 17209/2017 दायर की गई, जिस पर माननीय न्यायालय ने दोनों दिनांक 21.09.2017 एवं आदेश आदेश दिनांक 17.10.2017 की कार्यवाही पर स्थगन आदेश दिनांक 30.10.2017 पारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 30.10.2017 के अनुपालन में श्री पटनहां कार्यरत है। प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग